

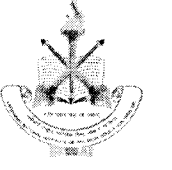
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(सम विश्वविद्यालय)

(यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत, 1956 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

सूचना क्र. F. 9-14/92-U. 3 दिनांक 21. 09. 1995)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय



क्रमांक: E/B&R/Res. & Tr. Terrace Repair & Tender/19/2021-22/ 16

दिनांक: 06/10/2021

निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य

संस्थान, दो-बोली (तकनीकी और मूल्य) प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित और सुपात्र ठेकेदार फर्मों/ एजेंसियों/ कंपनियों से “संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु” सीलबंद निविदाओं को आमंत्रित करता है। इसकी अनुमानित लागत रु. 18, 06, 000/- है एवं आवेदन पत्र और ई. एम. डी. निःशुल्क है, जिसके लिए बोली सुरक्षा घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विस्तृत निविदा दस्तावेज एवं प्रपत्र संस्थान की वेब-साइट w.w.w.lnipe.edu.in के अलावा सीपीपीपी पोर्टल, पर उपलब्ध हैं जो इस एनआईटी का अभिन्न अंग है, जिसे प्रस्तुत करने हेतु डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र में दी गयी पात्रता शर्तों के अनुसार योग्य इच्छुक फर्म/एजेंसियां/कंपनियां निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचनाओं, दस्तावेजों तथा कुलसचिव, एल एनआई पी ई, ग्वालियर के पक्ष में, ग्वालियर में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ई. एम. डी के साथ अपनी निविदा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा या हाथोंहाथ इस प्रकार प्रस्तुत कर सकती हैं, कि वे उप कुलसचिव (संपदा), एलएनआईपीई, ग्वालियर के कार्यालय/ निविदा बॉक्स में दि. 01. 11. 2021 को सायं 03. 00 बजे तक पहुंच जायें। तकनीकी बोली दि. 01. 11. 2021 को सायं 4. 00 बजे खोली जाएगी। केवल तकनीकी रूप से सफल बोलीकर्ताओं की मूल्य बोली बाद में खोली जाएगी, जिसकी जानकारी बोलीकर्ता को दी जाएगी।

ए. एस. साजवान
06/10/21

(प्रो. ए. एस. साजवान)

प्रभारी कुलसचिव

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

“संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु”

निविदा दस्तावेज - सह - प्रपत्र

(अ) पात्रता मापदण्ड :-

बोली लगाने वाली एजेंसियों को योग्य घोषित होने के लिए तकनीकी बोली के साथ **संलग्नक ‘अ’** में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की विधिवत हस्ताक्षरित/ स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. **संलग्नक ‘बी’** में दिए गए प्रपत्र में बोली सुरक्षा घोषणापत्र ।
2. बोलीकर्ता के निगमन का प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है)।
3. सीजीएसटी/एसजीएसटी पंजीकरण (पिछले माह के जी. एस. टी. रिटर्न के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है)
4. स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रतिलिपि संलग्न करें)।
5. दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए (**संलग्नक - सी** में दिए गए प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी “कारोबार का प्रमाण पत्र” के साथ इन तीन वर्षों की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी तथा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें)।
6. सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ शैक्षिक संस्थानों/ निजी संगठनों में पिछले 7 वर्षों (अगस्त, 2021 तक) के दौरान समान प्रकृति के कार्य, जैसे सिविल निर्माण कार्य, को सफलतापूर्वक निम्नवत पूरा करने का अनुभव:-

(अ) समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।
अथवा

(ब) समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।
अथवा

(स) समान प्रकृति का ऐसा एक कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

[केवल इन 3/2/1 कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें।]

7. बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें) ;
8. इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, कि ;



(ए) बोलीकर्ता कंपनी अथवा फर्म के स्वामी/ फर्म/ भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, आयकर जैसे वैधानिक देयों के भुगतान में चूक नहीं की है।

(सी) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान/ निजी संगठन संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

(डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता का कोई भी करार समाप्ति तिथि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।

(बी) वित्तीय बोली -

1. वित्तीय बोली केवल अनुलग्नक 'डी' में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना वांछित है।
2. केवल तकनीकी रूप से सफल बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली को निर्धारित दिनांक एवं समय को खोला जाएगा, जिसकी जानकारी ऐसे बोलीकर्ता को अलग से दी जाएगी।
3. उद्धृत दरों में सभी कर शामिल होने चाहिए। करार की अवधि के दौरान किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सी) निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया :

1. निविदाओं को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके ऊपर “संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु” लिखा होना चाहिए। यह लिफाफा उप कुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे हुए निविदा बॉक्स में दि. 01.11.2021 को सायं 03 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। निविदा को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके ऊपर उपर्युक्त विषय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो तथा यह उप कुलसचिव (संपदा), एलएनआईपीई, रेसकोर्स रोड, शक्तिनगर, ग्वालियर 474002 (म.प्र.) के कार्यालय में दि. 01.11.2021 को सायं 03 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
2. मुख्य निविदा लिफाफे में निम्नलिखित दो सीलबंद लिफाफे रखे होने चाहिए :-
लिफाफा क्रमांक 1 - संलग्नक 'ए' में दिए गए प्रारूप में अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ “तकनीकी बोली”, एवं उपर्युक्त वर्णित संलग्नक 'बी' और संलग्नक 'सी'
लिफाफा क्रमांक 2 - संलग्नक 'डी' में दिए गए प्रारूप में “वित्तीय बोली” (लिफाफे पर “वित्तीय बोली” लिखें) ;

3. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के सभी पृष्ठ विधिवत पृष्ठ-क्रमांकित एवं बोलीकर्ता द्वारा नीचे हस्ताक्षरित होने चाहिए।
4. समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्व-हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
5. सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
6. किसी भी समय संस्थान तकनीकी बोली खोलने से पहले किसी भी कारणवश, निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है, जिसके लिए संभावित बोलीकर्ताओं को अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।
7. बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों का पालन करना होगा और तदनुसार दोनों प्रारूपों (तकनीकी और वित्तीय) के सभी कॉलमों को स्पष्ट रूप से भरेंगे। ऐसा न करने पर संस्थान बोली अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
8. अपूर्ण भरी हुई निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
9. बोलियों को निविदा आमंत्रण सूचना में दी गयी तारीख पर बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि हों, की उपस्थिति में खोला जाएगा।
10. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित समयावधि के अनुसार खोला जाएगा। इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
11. यदि तकनीकी/वित्तीय बोलियों के खुलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होता है, तो बोलियों को अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोला जाएगा।
12. बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तावित मरम्मत कार्य स्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिए, जिसकी घोषणा तकनीकी बोली प्रारूप में करनी आवश्यक है।
13. उन बोलीकर्ताओं के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिनकी बोलियां तकनीकी या वित्तीय आधार पर खारिज कर दी गयी हों।

(डी) अनुबंध की सामान्य शर्तें :

1. उक्त कार्य की मात्रा को महज अनुमानित रूप में दर्शाया गया है। इसलिए, अनुसूची में उल्लिखित मात्रा और सामग्री भिन्न हो सकते हैं, जिसे ठेकेदार को प्रस्तावित दरों पर स्वीकार करना होगा। एजेंसी को कार्यस्थल पर किए गए कार्य की वास्तविक माप के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कार्य के संतोषजनक रूप से संपन्न होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।
2. कार्य के संतोषजनक रूप से संपन्न होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा।
3. सामग्री का उपयोग करने से पहले, ठेकेदार को प्रभारी अभियंता/संस्थान से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और किसी भी परिवर्तन के लिए संस्थान से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. काम प्रदान किए जाने की सूचना के बाद, सफल बोलीकर्ता को 07 दिनों के भीतर रुपये 100 / - का एक गैर-न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत करना होगा और वर्तमान निविदा की शर्तों

एवं दशाओं के अनुसार कार्य करने के लिए संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

5. सफल बोलीकर्ता को ऑनलाइन, मांग ड्राफ्ट या सावधि जमा के माध्यम से कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर कुल ठेका मूल्य की 5% राशि निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो कम से कम तीन महीने तक वैध हो।
6. कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने एवं संस्थान की संतुष्टि होने पर निष्पादन सुरक्षा राशि को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिदाय (रिफंड) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. बोलीकर्ता को वित्तीय बोली के तहत निविदा दस्तावेज में दी गयी विभिन्न शर्तों और दशाओं के अनुसार अपनी दरों को उद्धृत करना होगा, जिसमें सभी कर, उपयुक्त सामग्री, श्रमशक्ति, मशीनरी, मशीनों के उपकरण, संयंत्र और सभी उपकरण शामिल होंगे, जो कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। वित्तीय बोली में उद्धृत दरों के अलावा संस्थान द्वारा किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. सभी आवश्यक श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और कार्यस्थल पर कोई अवयस्क तैनात नहीं किया जाएगा। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए अकुशल श्रमिक और इसी तरह के अन्य कार्मिक ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे, और ठेकेदार सभी कर्मियों को उसी तरह से देय और/या अनुषंगी लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसे वह अपने अन्य कर्मचारियों को प्रदान करता है। एलएनआईपीई इस मामले में किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं और ठेकेदार उद्धृत दरों पर ही कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
10. निविदायें अपने खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु खुली रहेगी।
11. ठेकेदार को कार्य-आदेश के माध्यम से कार्य प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर कार्य को पूरा करना होगा और कार्य प्रारंभ करने के बारे में सूचना ठेकेदार द्वारा संस्थान को दी जाएगी।
12. कार्य में देरी होनेपर @ रु. 500/- प्रति दिन की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा और इसे ठेकेदार के बिल से काटा जाएगा, जो कुल लागत का 5% से अधिक नहीं होगा। यदि प्रस्तावित कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे तत्काल रजिस्ट्रार को सूचित किया जा सकता है और तदनुसार, यदि आवश्यक हुआ तो कार्य समय-अवधि में का विस्तार किया जाएगा।
13. यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और संस्थान की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।
14. किसी भी प्रकार की विघटित सामग्री सहित किसी भी अपशिष्ट/ मलवा को कार्य स्थल पर या संस्थान परिसर में नहीं छोड़ा जाएगा और ठेकेदार इसे अपनी लागत पर परिसर के बाहर करने और निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे।



15. कार्य के निष्पादन के दौरान संस्थान की संपत्ति को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि कार्यस्थल या उसके आसपास कोई क्षति हुई है, तो ठेकेदार को इसे अपनी लागत ठीक करना होगा और इस उद्देश्य हेतु उसे किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
16. ठेकेदार कार्यस्थल पर किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार ही बिल प्रस्तुत करेगा। इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मात्रा के अतिरिक्त किसी भी कार्य को करने के पूर्व संस्थान की लिखित अनुमति लेनी होगी। ठेकेदार को किए गए कार्य का बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान किए गए संपूर्ण कार्य के बारे में संस्थान की संतुष्टि के आधार पर किया जाएगा।
17. ठेकेदार के बिल से समय-समय पर आवश्यक वैधानिक कटौतियां की जाएंगी।
18. वर्जित एजेंसी/ काली सूची में डाली गयी फर्म/ व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
19. उप-अनुबंध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है, अथवा बीच में ही छोड़ देता है, अथवा संस्थान की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप इसे पूरा करने में विफल रहता है, अथवा अनुबंध की किन्हीं शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तो जैसा भी मामला हो, संस्थान के पास बोली सुरक्षा जमा राशि और/ या निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने का अधिकार होगा। संस्थान को ठेकेदार को काली सूची में डालने (ब्लैक लिस्ट करने) का भी अधिकार होगा।
21. करार की अवधि के दौरान किसी भी कानून/ विनियमन आदि के लागू होने के कारण ठेकेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
22. सामग्री या इस करार के किसी भी तत्व पर लगने वाले सभी कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और संस्थान इस संबंध में किसी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा। ठेकेदार की दरों में ऐसे सभी कर समाहित होंगे।
23. संस्थान, आईटी अधिनियम या समय-समय पर लागू किसी अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार इस करार के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों में से स्रोत पर ही आयकर एवं अन्य देय करों की कटौती करेगा।
24. उपकरण, मशीनरी या ठेकेदार कार्मिकों की प्रणाली को होने वाली किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे और ठेकेदार को अपनी लागत और जोखिम पर दुरुस्त करना होगा।
25. व्यक्तिगत कमरों में कार्य के दौरान दीवारों, फर्श, खिड़कियों आदि पर सफेद पुताई, रंगीन पुताई, चित्रकारी आदि के कारण बने छींटों और बौछारों को तत्काल साफ किया जाएगा और कार्य पूरा होने के साथ-साथ सतह को भी साफ करना होगा।
26. ठेकेदार श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।



27. अस्तरीय या घटिया कार्य के संबंध में कार्रवाई - यदि यह प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य को असंगत, अपूर्ण या असम्यकारीगरी के साथ निष्पादित किया गया है या किसी भी तरह की निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है तो प्रभारी अभियंता कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसे पुनः निष्पादित करा सकता है या इस कार्य को, जैसा भी मामला हो, हटा और बदल सकता है, जिसकी ऐसे मामलों में ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर कार्य कराना होगा।
28. कार्य प्रदान करने का मानदंड सामान्यतः बोलीकर्ता द्वारा समस्त सामग्रियों पर सबसे कम उद्धृत दरों के आधार पर होगा।
29. संस्थान के पास एजेंसी को अंतिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व, उद्धृत दरों के औचित्य को पूछने का अधिकार है।
30. ठेकेदार को समय-समय पर संशोधित बिजली संबंधी सभी नियमों का पालन करना होगा और ठेकेदार अपनी ओर से लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा।
31. संस्थान और ठेकेदार के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में, इसे दोनों पक्षों के मध्य परस्पर चर्चा के द्वारा सुलझाया जाएगा। परस्पर चर्चाओं के माध्यम से विवाद के न सुलझ पाने की स्थिति में कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा और इस मामले को तथाकथित नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष रखा जाएगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी और अंतिम होगा।
32. निविदा के संबंध में बोलीकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं जो बोलीकर्ता ऐसा करता है, उसकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृति किया जा सकता है।
33. करार के कारण संस्थान और ठेकेदार के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(मानद सम विश्वविद्यालय)

“संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु”
तकनीकी बोली प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं अथवा नहीं	यहां जानकारी दें	पेज क्रमांक पर प्रति संलग्न है
1	बोलीकर्ता एजेंसी का नाम			
2	पूरा पता, टेलीफोन/ मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वेबसाइट आदि			लागू नहीं
3	बोलीकर्ता की स्थिति, यथा - पब्लिक लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड/ भागीदारी फर्म अथवा मालिकाना फर्म (निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें)	हाँ/ नहीं		
4	संलग्नक 'बी' में दिए गए प्रपत्र में बोली सुरक्षा घोषणापत्र	हाँ/ नहीं		
5	संलग्नक - सी में दिए गए प्रपत्र में "कारोबार का प्रमाण पत्र"	हाँ/ नहीं		
6	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सी. जी. एस. टी. / एस. जी. एस. टी. अधिनियम पंजीकरण (पंजीकरण के साथ पिछले 01 माह के जी. एस. टी. कर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।)	हाँ/ नहीं		
7	आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन)। (इसकी प्रति संलग्न करें)	हाँ/ नहीं		

8	दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले पिछले 03 वर्षों का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का न्यूनतम 30% होना चाहिए (निविदा के संलग्नक - डी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों का लेखापरीक्षित लेखा विवरणी और आयकर रिटर्न संलग्न करें)	हाँ/ नहीं	<u>वित्तीय वर्ष</u> <u>कारोबार</u> 2017-18 2018-19 2019-20	
9	सरकारी विभाग/ अन्य संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निजी उपक्रमों में "संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु" जैसे कार्यों को (अगस्त 2021) तक सफलतापूर्वक पूरा करने का निम्नलिखित में से कोई अनुभव :- (अ) समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो। अथवा (ब) समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो। अथवा (स) समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो। [केवल इन 3/2/1 कार्य आदेशों के साथ संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें।]	हाँ/ नहीं		
10	बोलीकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पिछले एक माह की विवरणी के साथ बैंक खाते का विवरण दें)	हाँ/ नहीं	खाता क्रमांक खाते का प्रकार बैंक शाखा आईएफएससी	
11	रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र कि : (ए) बोलीकर्ता कंपनी के कर्ताधर्ता/ फर्म/			

	भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है; (बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ई. पी. एफ. , ई. एस. आई. , जी. एस. टी. , आयकर इत्यादि वैधानिक देयों के भुगतान में कोई उल्लंघन नहीं किया है; (सी) फर्म/एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/ अन्य संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/ शासकीय शैक्षणिक संस्थानों/ निजी संगठनों द्वारा काली सूची में नहीं रखा/ वर्जित नहीं किया गया है; (डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता फर्म का कोई भी ठेका, पूर्णता अवधि के पूर्व निरस्त किया गया है।			
12	वर्तमान बोली के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी, जो बोलीकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।			

घोषणा

- हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
- हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
- हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
- हम वचन देते हैं कि यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और हमें कार्य प्रदान किया जाता है, तो हम इसे स्वीकार करने और निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

(

5. प्रारंभिक चरण में प्रदान किए गए कार्य को स्वीकार करने में हमारी ओर से चूक होने की स्थिति में, या करार की अवधि के दौरान करार को अधूरा छोड़ने पर, या किसी भी तरह से करार की शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी और / अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
6. जब तक कि एक औपचारिक करार तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी करार की तरह मान्य होगा।
7. मैं/ हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :

स्थान:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

नाम, पता, दूरभाष एवं मुहर : _____

एल. एन. आई. पी. ई. ग्वालियर में निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए
बयाना जमा राशि घोषणापत्र

(मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाये)

चूंकि हमने “एल. एन. आई. पी. ई. ग्वालियर में “संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु” के लिए बोली लगाई है। इसलिए, हम बयाना राशि जमा करने के एवज में निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करते हैं:-

1. यहकि, यदि निविदा के खुलने के बाद अथवा निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट निविदा की वैधता की अवधि (निविदा की विस्तारित वैधता सहित) के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं,
2. यह कि, कार्य प्राप्त होने के बाद, यदि हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में या निविदा दस्तावेजों में निर्धारित की गयी समय सीमा से पहले निष्पादन सुरक्षाराशि / निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।
3. तो हमें एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और निलंबन आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक हम एलएनआईपीई की निविदाओं के लिए बोली लगाने योग्य नहीं होंगे।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

ऐजेंसी का नाम, पता एवं दूरभाष (मुहर सहित) : _____

कारोबार प्रमाणपत्र

“संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य हेतु”

(मूलप्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कारोबार और अर्जित हानि/लाभ निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ/हानि

उपरोक्त जानकारी/ आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म की बैलेंस शीट और/ या आयकर रिटर्न से प्राप्त हुए हैं।

दिनांक :

स्थान :

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर _____

पंजीकरण संख्या _____

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस बात से अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से करार की अवधि के दौरान या किसी भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त हो जाएगी, साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित) : _____

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

“संस्थान परिसर में टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की

मरम्मत कार्य हेतु”

वित्तीय बोली प्रपत्र

क्रमांक	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर अंकों और शब्दों में (रुपये में)	राशि अंकों और शब्दों में (रुपये में)
1.	टाइप- II, III, IV और V के आवास में वाटरप्रूफिंग मिश्रण के साथ छत की मरम्मत कार्य करना सर्व प्रथम छत की उखड़ी हुई एवं ढीली पुरानी सीमेंट कॉक्रीट को हटाना व मलबे को भवन से दूर फेंकना एवं प्रभारी के दिशानिर्देश अनुसार फेंकना। तत्पश्चात छत की सफाई कर उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट को सीमेंट में मिलाकर घोल तैयार कर छत के ऊपर डालना तथा उसके ऊपर 50 एमएम मोटी नई सीमेंट कॉक्रीट 1:2:4 (एक सीमेन्ट, दो रेत और चार गिट्टी 12 से 16 एमएम मोटी) के अनुपात में करना। तत्पश्चात वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट एवं सीमेंट (वाटर प्रूफिंग सोल्वेंट दो लीटर को 50 किग्रा सीमेंट) में मिलाकर नीट सीमेंट से घुटाई करना। उपरोक्त कार्य को प्रभारी के दिशानिर्देशानुसार किया जाना है।	वर्ग मीटर	3620		
2.	सबसे पहले पुराने और ढीले सीमेंट के प्लास्टर को हटाकर भवन से मलबा फेंकना और प्रभारी के अनुसार पैरापेट की दीवार की सफाई के बाद सीमेंट में वाटरप्रूफिंग सोल्वेंट मिलाना और 12 मिमी मोटा नया सीमेंट प्लास्टर अनुपात	वर्ग मीटर	1086		

	1:4 बिछाना (एक सीमेंट, चार रेत) साफ-सुथरी फिनिश के साथ।				
	जी. एस. टी. सहित कुल योग				

उपर्युक्त उद्धृत दरें कार्य-स्थल पर समस्त करों सहित हैं, और इन उद्धृत दरों के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं है।

शपथपत्र

1. हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसमें वर्णित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. हम वचन देते हैं कि यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है और हमें कार्य प्रदान किया जाता है, तो हम इसे स्वीकार करने और निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
5. प्रारंभिक चरण में प्रदान किए गए कार्य को स्वीकार करने में हमारी ओर से चूक होने की स्थिति में, या करार की अवधि के दौरान करार को अधूरा छोड़ने पर, या किसी भी तरह से करार की शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी और /अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
6. जब तक कि एक औपचारिक करार तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी करार की तरह मान्य होगा।
7. मैं/ हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

ऐजेंसी का नाम, पता एवं दूरभाष (मुहर सहित) : _____
